भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2415

उत्तर देने की तारीखः 08.07.2019

विद्यार्थियों की चिकित्सीय जांच

2415. श्री रवि किशनः

श्री अजय मिश्र टेनीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी और प्रत्यायित विद्यालयों में विद्यार्थियों की वार्षिक चिकित्सा जांच को अनिवार्य करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में सभी प्रत्यायित और सरकारी विद्यालयों हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) की शुरूआत की है, जिसमें बाल स्वास्थ्य जांच और पूर्व उपाय सेवाएं, जल्द पहचान की प्रणालीगत पहुंच और देखभाल, सहायता तथा उपचार के लिए लिंक की परिकल्पना की गई है।

आरबीएसके बच्चों के संपूर्ण जीवन गुणवत्ता में सुधार करने और देश भर के सरकारी तथा सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के साथ प्री-स्कूल आयु समूह में पढ़ने वाले सभी बच्चों को व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए तैयार किया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में चार डी- जन्म के दोष, रोग, कमियां, विकास में देरी स्वास्थ्य स्थितियों के लिए जन्म से 18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की वार्षिक जांच, जल्द पता लगाने के लिए 30 सामान्य और तृतीय स्तर पर शल्य क्रिया को शामिल करते हुए उपचार और प्रबंधन शामिल है। निदान की गई स्वास्थ्य स्थितियों का पता लगाए गए बच्चों को जिला स्तर पर शीघ्र चिकित्सा सेवाएं और फॉलो-अप देखभाल प्रदान किया जाता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के संशोधित संबद्धता उप-नियम, 2018 के नियम 9.2.24 और 14.6 में स्कूलों में चिकित्सा जांच का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, संशोधित संबद्धता उप-नियम, 2018 के नियम 2.4.12 के अंतर्गत प्रत्येक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल द्वारा परामर्शदाता और चिकित्सा शिक्षक के कार्यों का निष्पादन करने के लिए पूर्णकालिक आधार पर व्यक्ति की नियुक्ति करना अपेक्षित है।

केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन छात्रों को नियमित चिकित्सा जांच की सुविधा प्रदान करते हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में लड़कियों की चिकित्सा जांच के लिए नियमित रूप से केजीबीवी जाने के लिए डॉक्टरों के पैनल का प्रावधान है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****